छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छ.ग. शासन वि.वि. अधिनियम 1973 के अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान सहपठित लागू होंगे।

शासकीय गुण्डाधूर महाविद्यालय

कोण्डागांव, जिला- कोण्डागांव (छ.ग.)

विवरणिका

वर्ष : 2016-17

मूल्य 30.00

शासकीय गुण्डाधूर महाविद्यालय, कोण्डागाँव, जिला- कोण्डागाँव (छ.ग.)

नागरिक अधिकार पत्र

शासकीय गुण्डाधूर महाविद्यालय की स्थापना सन् 1982 में हुई थी। अब महाविद्यालय का नया भवन रायपुर–जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर दो किलोमीटर दूर जिलाधीश कार्यालय के बाजु स्थित है। महाविद्यालय के सामने क्रीड़ागन स्थित है। महाविद्यालय में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों के विविध विषयों का अध्यापन होता रहा है। समृद्ध पुस्तकालय एवं साधन सम्पन्न प्रयोगशालाएं उपलब्ध है। एन.सी.सी. तथा रा.से.यो. की ईकाइयां छात्र के बहुमुखी विकास के लिए प्रयत्नशील रहती हैं अनेक खेलों के भी प्रर्याप्त व्यवस्था है। साथ ही छात्रों की मूलभूत सुविधाओं का भी व्यापक पैमाने पर विस्तार किया जाकर उनके लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है सायकल, मोटर सायकल के रख रखाव हेतु शेडयुक्त स्थाई सायकल स्टैण्ड, स्नेह सम्मेलन हेतु शेडयुक्त मंच एवं जिम्नेजियम हॉल की भी व्यवस्था है

प्रस्तुत विवरण पत्रिका में महाविद्यालय की समस्त गतिविधियों, नियमों, प्रवेश प्रक्रिया, आचरण संहिता का स्पष्ट वर्णन किया गया है। विवरण पत्रिका में महाविद्यालय से संबंधित प्रायः सभी जानकारी उपलब्ध है। अतः अनभिज्ञयतावश किसी नियम का उल्लंघन करना क्षमा योग्य नहीं होगा।

उपयोगी जानकारी

महाविद्यालय का सत्र :

ग्रीष्मावकाश के पश्चात् 16 जून से प्रारंभ व 30 अप्रैल को समाप्त।

स्नातक प्रथम वर्ष / स्नातकोत्तर पूवार्ध में प्रवेश –

1. प्रवेश आवेदन पत्र 16 जून से महाविद्यालय के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है
2. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जून अथवा प्राचार्य द्वारा घोषित तिथि।
3. प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि प्रवेश सूची के साथ जारी की जायेगी।

संस्था में पढ़ाये जाने वालें संकाय विषय इत्यादि की समूहवार जानकारी :

1. स्नातक स्तर -

(अ) कला संकाय –

1. अनिवार्य विषय – आधार पाठयक्रम (हिन्दी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन)
2. वैकल्पिक विषय – निम्न विषय समूह में से किन्हीं तीन समूहों के एक विषय का चयन कर कुल तीन विषय लेना है –

1. समाजशास्त्र
2. इतिहास / अंग्रेजी साहित्य
3. राजनीति शास्त्र या गृह विज्ञान
4. हिन्दी साहित्य
5. अर्थशास्त्र
6. भूगोल
7. प्रायोगिक कार्य (जहां आवश्यक हो)

टीप :– किसी भी विषय में 80 से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ब) विज्ञान संकाय –

1. अनिवार्य विषय – आधार पाठयक्रम (हिन्दी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन)
2. वैकल्पिक विषय – निम्न विषय समूह में से किन्हीं तीन समूहों के एक विषय का चयन कर

कुल तीन विषय लेना है –

समूह अ. 1. भौतिक शास्त्र 2. रसायन शास्त्र 3. गणित

समूहं ब. 1. रसायन शास्त्र 2. प्राणी शास्त्र 3. वनस्पति शास्त्र

समूह स. बी.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस 1. भौतिक शास्त्र 2. गणित 3. कम्प्यूटर साइंस

(स) वाणिज्य संकाय –

बी. काम.

2. स्नातकोत्तर स्तर -

निम्न में से किसी एक विषय का चयन करें –

(अ) एम. ए. 1. अर्थशास्त्र 2. समाज शास्त्र 3. राजनीति शास्त्र 4. हिन्दी 5. भूगोल 6. इतिहास

(ब) एम.एस.सी. 1. गणित

(स) एम.कॉम 1. वाणिज्य

(द) एम.एस.सी. 1. रसायन

कक्षाओं में निर्धारित प्रवेश संख्या :

1.	बी.ए. भाग एक		160
2.	बी.एस.सी भाग एक (गणित समूह)		60
	बी.एस.सी भाग एक (जीव विज्ञान समूह)		60
3.	बी.कॉम भाग एक		60
4.	एम.ए. पूर्व	1. अर्थशास्त्र	25
		2. समाज शास्त्र	25
		3. राजनीतिशास्त्र	25
		4. हिन्दी	25
		5. भूगोल	25
		6. इतिहास	25
5.	एम.एस.सी. पूर्व	1. गणित	20
6.	एम. कॉम पूर्व		20
7.	एम.एस.सी.पूर्व (रसायनशास्त्र)		25

प्रवेश के लिए भुगतान योग्य शुल्क का विवरण :- (शासन द्वारा निर्धारित)

1. शासकीय शुल्क -

क्र. कक्षा	शिक्षण शुल्क	प्रवेश शुल्क	विज्ञान शुल्क	योग
1. बी.एस.सी	115/-	3/-	20/-	138/-
2. बी.ए.	115/-	3/-	-	118/-
3. बी.कॉम.	115/-	3/-	-	118/-
4. बी.सी.ए.	115/-	3/-	-	118/-
5. स्नातकोत्तर पूर्व	120/-	3/-	-	123/-

2. अशासकीय शुल्क - (प्रत्येक प्रवेशार्थी को भुगतान करना होगा)
स्नातक स्तर -

क्र.	विवरण	शुल्क रू.	क्र.	विवरण	शुल्क रू.
1.	स्टेशनरी	2.00	14.	नामांकन पत्र (आवे.पत्रसहित)	60.00
2.	संघ प्रवेश शुल्क	2.00	15.	अवधान शुल्क	150.00
3.	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5.00	16.	जनभागीदारी शुल्क	250.00
4.	परिचय पत्र/ ग्रंथालय कार्ड	10.00	17.	विज्ञान विकास शुल्क	50.00
5.	महाविद्यालय विकास शुल्क	30.00		(केवल विज्ञान के छात्रों हेतु)	
6.	सम्मिलित निधि शुल्क	30.00	18.	भूगोल विकास शुल्क	100.00
7.	क्रीडा शुल्क	20.00		(केवल भूगोल के छात्रों हेतु)	
8.	स्नेह सम्मेलन	20.00	19.	कम्प्यूटर कोर्स हेतु	500.00
9.	शा. क. शुल्क	250.00		(बी.सी.ए.) प्रतिमाह	
10.	वाचनालय शुल्क	30.00	20.	स्थानीय परीक्षा शुल्क	30.00
11.	ग्रंथालय शुल्क	30.00	21.	संबंधता शुल्क	10.00
12.	सायकल स्टैंड शुल्क	25.00	22.	एन. सी. सी.	10.00
13.	पत्रिका शुल्क	25.00	23.	एन.एस.एस.	10.00

3. अशासकीय शुल्क - (प्रत्येक प्रवेशार्थी को भुगतान करना होगा)
स्नातकोत्तर स्तर -

क्र.	विवरण	शुल्क रू.	क्र.	विवरण	शुल्क रू.
1.	स्टेशनरी	2.00	8.	स्नेह सम्मेलन	20.00
2.	संघ प्रवेश शुल्क	2.00	9.	शा. क. शुल्क	250.00
3.	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5.00	10.	वाचनालय शुल्क	30.00
4.	परिचय पत्र/ ग्रंथालय कार्ड	10.00	11.	ग्रंथालय शुल्क	30.00
5.	महाविद्यालय विकास शुल्क	30.00	12.	सायकल स्टैण्ड शुल्क	25.00
6.	सम्मिलित निधि शुल्क	30.00	13.	पत्रिका शुल्क	25.00
7.	क्रीडा शुल्क	20.00	14.	नामांकन पत्र (आवे.पत्र.सहित)	60.00

क्र.	विवरण	शुल्क रू.	क्र.	विवरण	शुल्क रू.
15.	अवधान शुल्क (केवल विज्ञान के छात्रों हेतु)	150.00	20.	विज्ञान विकास शुल्क (केवल विज्ञान, भूगोल एव एम.एस.सी. के छात्रों हेतु)	100.00
16.	संबंद्धता शुल्क	50.00			
17.	स्थानीय परीक्षा शुल्क	30.00	21.	एन.सी.सी.	10.00
18.	जन भागीदारी शुल्क	300.00	22.	एन.एस.एस.	10.00
19.	स्नातकोत्तर विकास शुल्क (केवल भूगोल के छात्रों के लिए)	250.00	23.	संबंधता शुल्क (केवल एम.एस.सी.रसायन हेतु)	1200.00

टीप :- 1. शासकीय शुल्क समस्त छात्राओं को माफ होगी।

2. एस.टी. /एस.सी. वर्ग के सभी छात्रों को शासकीय शुल्क माफ।

3. प्रत्येक विषय में न्यूनतम 10 छात्रों का प्रवेश अनिवार्य होगा।

4. प्रवेश के समय दो फोटो साथ लावें।

विशेष :- अवधान राशि अमानत प्रमाण-पत्र लाने पर वापस ली जा सकती है, तीन वर्ष पुरे होने पर ये राजसात हो जाती है।

प्रवेश की अंतिम तिथि :

स्थानान्तरण प्रकरणों को छोड़कर

1. प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जुलाई प्राचार्य के अधिकार के तहत।
माननीय कुलपति महोदय के अनुमति पर 14 अगस्त तक देय होगी।
2. प्रवेश पश्चात बिना सम्यक कारण के स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र नहीं दिया जावेगा।
3. स्थानान्तरण प्रकरणों में यथास्थिति समय कार्यालय के आदेश ही मान्य होंगे।

प्रवेश का नवीनीकरण :

पूर्व सत्र के नियमित प्रवेश प्राप्त, उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का स्नातक द्वितीय भाग एवं तृतीय भाग में अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में बिना गैप के प्रवेश नवीनीकरण 16 जून 2016 को स्वतः प्रवेश दे दिया जायेगा।

प्रवेश की नवीनीकरण की अंतिम तिथि :

कक्षाओं में स्थान रिक्त रहने पर अन्य विश्वविद्यालय से आने वाले तथा स्वध्यायी उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। ऐसे सभी प्रवेशार्थियों के लिये वे सब नियम लागू होगें जो स्नातक भाग एक के प्रवेशार्थियों के लिये हैं।

स्नातक भाग दो व तीन/ स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में नवीन प्रवेश :

महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने के 10 दिन बाद तक नियमित प्रवेश हेतु आवेदन शुल्क सहित जमा की जा सकती है। आवेदन के साथ उतीर्ण परीक्षा की सत्यापित अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य है। पूनर्मूल्यांकन के छात्रों का प्रवेश परिणाम प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर स्थान उपलब्ध होने पर पात्रतानुसार ही देय होगी।

महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया :

1. प्रवेश आवेदन पत्रों का वितरण 16 जून से प्रारंभ होगा। आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते है।
2. प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 30 जून 2016 – परीक्षा परीणाम घोषित होने के 10 दिन तक

नवीन प्रवेश	–	16 जून 2016 से 30 जून 2016 तक
प्रवेश नवीनीकरण	–	16 जून 2016 को स्वतः हो जायेगा
कक्षा में स्थान रिक्त रहने पर	–	30 जुलाई 2016 तक
माननीय कुलपति के अनुमति से	–	14 अगस्त तक
पुनर्मुल्यांकन में उत्तीर्ण रहने पर	–	मुख्य परीक्षा परिणाम की तिथि से.......... दिन तक (यदि स्थान रिक्त हो तो)

आवेदन पत्र के साथ जमा होने वाले प्रमाण–पत्रों की सूची :

1. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र
2. उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की भी अंकसूची संलग्न करें।
3. अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र
4. जाति प्रमाण–पत्र (केवल अ.जा./ अ.ज.जा./ पिछड़ा वर्ग हेतु)
5. शासकीय कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र
6. विकलांगता प्रमाण–पत्र
7. क्रीडा प्रमाण–पत्र (अन्य वि.वि. से उत्तीर्ण छात्रों के लिये)
8. आब्रजन प्रमाण–पत्र (अन्य वि.वि. से उत्तीर्ण छात्रों के लिये)
9. पात्रता प्रमाण–पत्र (अ.जा./ अ.ज.जा./ पिछड़ा वर्ग हेतु)
10. बी.पी.एल. श्रेणी का प्रमाण–पत्र

नोट : आवेदन के प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियां ही संलग्न करें। लेकिन प्रवेश शुल्क देते समय स्थानांतरण प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र, आब्रजन तथा पात्रता प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रवेश की पात्रता -

1. छ. ग. के मूल/ स्थायी निवासी छ. ग. में पदस्थ राज्य/ केन्द्र सरकार के कर्मचारी, भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारियों के पुत्र /पुत्रियों को प्रवेश दिया जायेगा।
2. अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जायेगा।
3. स्नातक व स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्णाक का न्यूनतम अंक सीमा में 5 प्रतिशत की छुट दी जावेगी।

4. स्नातक स्तर पर 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पर 25 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्र प्रवेश के पात्र नहीं होगें। एस.टी./ एस.सी. को छूट की पात्रता है।

5. अ.जा./ अ.ज.जा./ पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर) के आवेदकों को निर्धारित न्यूनतम अंक सीमा में 5 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

6. स्नातक स्तर की प्रथम/ द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक घोषित आवेदक को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर स्थायी प्रवेश होगा। अनुतीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त होगा।

2. अधिभार – प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर गुणानुक्रम निर्धारण के लिये निम्न प्रमाण-पत्रों के अधिभार देय होगा।

(क) एन.सी.सी. / स्काउट / एन.एस.एस.-

ए सर्टीफिकेट	–	2
बी सर्टीफिकेट	–	2
सी सर्टीफिकेट	–	2
गणतंत्र दिवस परेड	–	5

(ख) खेलकूद /साहित्यक /सांस्कृतिक /क्विज प्रतियोगितायें –

1. लोक शिक्षण या उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 2 प्रतिशत अधिभार और व्यक्तिगत प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को 4 प्रतिशत अधिभार दिया जावेगा।
2. राज्य स्तर प्रतियोगिता में स्थान पाने वाले टीम सदस्य को 7 प्रतिशत से 10 प्रतिशत अंको का अधिभार दिया जावेगा।
3. समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को 5 प्रतिशत अधिभार।
4. राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक टीम सदस्य को 15%प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त टीम को 20 % अधिभार दिया जावेगा
5. 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्रों को छात्रवृत्ति नही दी जायेगी।

विशेष – स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।

3. संकाय परिवर्तन –स्नातक/ स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा का संकाय विषय परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले प्राप्तांको का 5 प्रतिशत घटाकर गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा। एक बार प्रवेश लेने के बाद संकाय/ विषय/ ग्रुप परिवर्तन की अनुमति 30 सितम्बर तक दी जावेगी।

विशेष – 1. जाली प्रमाण-पत्र, गलत जानकारी, जानबुझकर छिपाये गये प्रतिकुल तथ्यों प्रशासकीय कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी को प्रवेश मिल गया हो, तो ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है।

2. प्रवेश लेकर पूर्व अनुमति के बिना लगातार एक माह तक अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य उस छात्र का नाम निरस्त कर सकते हैं।
3. सत्र के दौरान अनुशासन हीनता के प्रकरणों में लिप्त छात्र का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को है।
4. विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार सत्र में 75% उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा नियमित परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। छात्रवृत्ति के भी पात्र नहीं होगे।
5. कोई भी नियमित छात्र अपने साथ गैर महाविद्यालयीन छात्र को संस्था में नहीं लायेगा।

4. प्रवेश हेतु अर्हतायें :-

1. पुरक प्राप्त छात्रों को स्नातक/ स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. किसी महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में एक बार प्रवेश लेकर अध्ययन छोडने, अनुतीर्ण होने वाले छात्र को उसी संकाय की उस कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
3. जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो, अथवा न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहा हो, परीक्षा में पूर्व सत्र में छात्रों/ अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार के गंभीर आरोपी व्यक्ति को प्रवेश से वंचित किया जावेगा।
4. अधिकतम आयु सीमा स्नातक स्तर पर 22 वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 25 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों को प्रवेश की पात्रता नहीं हैं, किन्तु अ.जा./ अ.ज.जा./ पिछडे वर्ग के लिये सीमा में तीन वर्ष की छूट है।
5. पूर्वकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारियों को उसकी दैनिक कार्यावधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
6. किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त व्यक्ति को किसी अन्य संकाय के स्नातक पाठयक्रम में प्रवेश की पात्रता नहीं हैं।

5. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

1. सर्वप्रथम अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र, फिर भूतपूर्व नियमित तत्पश्चात स्वाध्यायी छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा।
2. सर्वप्रथम स्थानीय छात्रों को, फिर तहसील, जिला तथा समीपस्थ अन्य जिलों से अध्ययन करने वाले छात्रों को प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

6. आरक्षण :-

1. अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों के लिये क्रमशः 14 और 18 प्रतिशत स्थान आरक्षित।
2. पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये स्थान आरक्षित।
3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र, पुत्री, प्रपुत्री एवं विकलांगों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित।
4. महाविद्यालय संचालनालय में कार्यरत शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के पुत्र/ पुत्रियों के लिये 01 प्रतिशत स्थान स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आरक्षित।

5. प्रवेश की अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थान न भरे जाने पर आरक्षित स्थान सामान्य श्रेणी के आवेदक के लिये उपलब्ध रहेंगे। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय- समय पर परिवर्तन / संशोधन छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किये जा सकते हैं।

प्रवेश की सामान्य शर्तें :-

1. कार्यालय से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र में ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे।
2. पूर्ण व स्पष्ट रूप से भरा आवेदन समय सीमा में कार्यालय में जमा हो। अपूर्ण जानकारी युक्त आवेदन निरस्त समझा जायेगा।
3. निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं होने पर आवेदन निरस्त हो जावेगा।

छात्रों के लिये महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें। 15 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर नाम निरस्त कर दिया जायेगा।
2. विश्वविद्यालय नामांकन के लिये आवेदन तथा परीक्षा आवेदन पत्र भरकर निर्धारित समय तक कार्यालय में जमा करना प्रत्येक छात्र की जिम्मेदारी होगी।
3. 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति रहने पर न तो छात्रवृत्ति दी जावेगी और न ही नियमित परीक्षार्थी के रूप में बैठने दिया जावेगा।
4. छात्रावासियों को प्रतिमाह कक्षा की उपस्थिति तथा छात्रावास की उपस्थिति लिखिल में देनी होगी। तभी छात्रवृत्ति का भुगतान किया जावेगा।
5. किसी कार्य या जानकारी के लिये संबंधित सहायक प्रध्यापक/कर्मचारी से संपर्क करना चाहिए विशेष परिस्थिति में प्राचार्य से मिले।

विद्यार्थी आचार संहिता :-

सामान्य नियम :-

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेश-भूषा में महाविद्यालय में आयेंगे। किसी भी स्थिति में उनकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्णध्यान अध्ययन में लगाएगें साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में पूरा सहयोग प्रदान करेगें।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषाओं का प्रयोग, गाली-गलौज, मारपीट या अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगे।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं शालिनता का व्यवहार करेंगे।

5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं मं किसी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वदा वर्जित है।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दिवालों को गन्दा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल, पान मसाला, गुटका, धुम्रपान का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

सामान्य नियम :-

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 %उपस्थिति अनिवार्य होगी एन.सी.सी. एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उन्हें स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ-सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करने वाले विद्यार्थियों को ही निर्धारित संख्या में पुस्तकें प्राप्त होगी तथा निर्धारित समय में न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देय होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों से समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।

परीक्षा संबंधी नियम :-

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी का शासकीय परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि छात्र किसी अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में लिप्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छ.ग. शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिशोध

अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किए जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है।

3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नही करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

महाविद्यालय में छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधायें

(क) शुल्क मुक्ति की सुविधा :-

1. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री को विभागीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क मुक्त रहेगा।
2. सभी छात्राये उपाधि पाठ्यक्रम तक शिक्षण शुल्क मुक्त रहेंगी।
3. दो भाईयों के साथ-साथ महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर कनिष्ठ भाई का अर्ध शिक्षण शुल्क लगेगा।
4. अ.जा /अ.ज.जा. छात्र जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पूर्ण शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे।
5. निर्धन छात्र द्वारा आय प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर शुल्क सहायता प्राप्त कर सकते है।

(ख) छात्रावास सुविधा :-

पोस्ट मैट्रिक छात्रावास अनु. जाति एवं अनु. जन जाति के छात्र/छात्राओं के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें छात्र / छात्राएं प्रवेश ले सकते है, प्रवेश के लिए आवेदन पत्र महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त करें।

(ग) ग्रंथालय :-

छात्रों एवं शिक्षकों के लाभार्थ एक समृद्ध ग्रंथालय है जिसमें 15000 से अधिक पुस्तकें है ग्रंथालय कार्ड पर प्रत्येक छात्र को 4 पुस्तकें पन्द्रह दिन के लिये दी जाती है पन्द्रह दिन के बाद पुस्तकें न लौटाने पर रू. 2.00 प्रतिदिन की दर से दण्ड देना पड़ता है . परीक्षा के समय प्रवेश पत्र लेने के पूर्व सभी पुस्तके लौटाना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र परीक्षा में पुस्तकें रखना चाहे तो उन पुस्तकों का मूल्य जमा कर सकता है और बाद में लौटाने पर जमा राशि वापस ले सकता है।

(घ) बुक बैंक योजना :-

अ.जा./अ.ज.जा. जाति वर्ग के छात्रों के लिये शासन द्वारा बुक बैंक योजना चालू की गई हैं जिसके अंतर्गत दो छात्रों के प्रत्येक बैच को सभी विषयों के एक सेट पूर्ण सत्र् के लिये दिया जावेगा। ये पुस्तकें सत्र समाप्त होने पर ग्रंथालय में जमा करना होगा।

(ङ) बी.पी.एल. बुक बैंक योजना :-

आगामी शैक्षणिक सत्र से शासन के निर्देशानुसार बी.पी.एल. बुक योजना लागू की गई है। इस हेतु छात्र/छात्राओं को शासन द्वारा बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र प्रवेश हेतु आवेदन के साथ ही जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् शासन के प्रावधानों एवं निर्देशानुसार संबंधित को योजना का लाभ दिया जायेगा।

(च) वाचनालय :-

छात्रों के सामान्य ज्ञान वर्धन के लिये वाचनालय की सुविधा है। जिसमें अनेक पत्र-पत्रिकायें पढ़ने के लिये उपलब्ध करायी जाती है। अवकाश के क्षणों में छात्र वाचनालय का उपयोग कर सकते है वाचनालय में छात्रों को बैठकर नियमित अध्ययन की सुविधा प्रदान की गई है।

(च) निःशुल्क स्टेशनरी :-

अ.जा. /अ.ज.जा. के छात्रों को शासन द्वारा निःशुल्क स्टेशनरी प्रदाय की जाती है। (आबंटन प्राप्त होने पर) महाविद्यालय स्तर पर निम्न प्रकार की छात्रवृत्तियां उपलब्ध होती है। छात्र छात्रवृत्ति प्रभारी अध्यापक से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति - योग्यता एवं साधन के आधार पर।
2. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति - योग्यता एवं साधन के आधार पर।
3. एकीकृत शिष्यवृत्ति - हायर सेकेण्डरी में 60% से अधिक अंक पाने वाले छात्रों के लिये
4. एकीकृत शिष्यवृत्ति - योग्य 45% से अधिक अंक शासन के साधन के आधार पर।
5. खेलकूद छात्रवृत्ति - योग्यता के आधार पर।
6. राष्ट्रीय छात्र सेना - योग्यता के आधार पर।
7. शासकीय कर्मचारी विशेष शिष्यावृत्ति - छ.ग. के निवासी सैनिकों के लिये विशेष।
8. मृत सैनिक बच्चों को शिष्यावृत्ति - छ.ग. के निवासी सैनिकों के लिये विशेष।
9. निर्धन योग्य छात्रों के छात्रवृत्ति - निर्धनता व योग्यता के छात्रों के लिए विशेष
10. डाकू तथा पीड़ीत - साधन के आधार पर कलेक्टर के प्रमाणीकरण पर लोगों के बच्चों का छात्रवृत्ति।
11. बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) छात्र कल्याण छात्रवृत्ति- शासन के निर्देशानुसार आगामी शैक्षणिक सत्र बी.पी.एल. श्रेणी के अंतर्गत आने वाले

छात्र/छात्राओं हेतु कल्याण छात्रवृत्ति योजना लागू की जानी है। इस हेतु संबंधित छात्र/छात्राओं को शासन द्वारा जारी बी.पी.एल. प्रमाण पत्र प्रवेश फार्म के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् शासन के निर्देशानुसार योजना का लाभ संबंधित को दिया जावेगा। दर 300 /- रू. प्रतिमाह दी जायेगी।

(ज) महाविद्यालय में शैक्षणेत्तर गतिविधियां :-

1. राष्ट्रीय छात्र सेना (एन.एस.एस.) - महाविद्यालय में 130 की यूनिट गठित की जाती है, महानिद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात इच्छुक छात्रों को रा.छा.से. के लिये आवेदन करना होता है नियमित गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र परीक्षा उपरान्त बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त करतें है, शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिये रा.छा.से. प्रमाण पत्र धारी को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिये छात्रों को रा.छा.से. में अवश्य भाग लेना चाहिए।

2. राष्ट्रीय सेवा योजना - महाविद्यालय में रा.से.यो. की एक इकाई की जाती है। प्रत्येक कक्षा से इच्छुक छात्र इकाई में प्रवेश ले सकते है। छात्रों को कार्यक्रम अधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए। रा.से.यो. का बी एवं सी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले छात्रों को शासकीय सेवा में प्राथमिकता दी जाती है।

3. इको क्लब -महाविद्यालय में 50 छात्र/छात्राओं की एक यूनिट गठित की गई है। इसके तहत् छात्र /छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है।

4. रेडक्रास सोसायटी- 50 छात्र /छात्राओं की एक इकाई महाविद्यालय में विगत 2 वर्षों से प्रभावशील है, इकाई के माध्यम से फर्स्टएड एवं अन्य बिमारियों के संबंध में कोण्डागांव के विभिन्न अस्पतालों के डाक्टर्स को छात्र /छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु समय पर आमंत्रित किया जाता है।

(झ) खेलकूद :-

महाविद्यालय में क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स तथा इण्डोर गेम की सुविधा है। सत्र के प्रारंभ में विभिन्न खेलों की टीमें चयन कर अभ्यास कराया जाता है। महाविद्यालय में संभाग तथा राज्य स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित होती है। योग्य छात्रों को इन गतिविधियों में अवश्य भाग लेना चाहिए, उससे सम्मान, पुरस्कार एवं शासकीय सेवा में प्राथमिकता दी जाती है।

टीप : दिये गये नियम निर्देशों में किसी तरह की त्रुटी की स्थिति में शासन वि.वि. द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश ही अंतिम रूप से मान्य होंगे।

महाविद्यालयीन वार्षिक कार्य योजना

1. सत्र प्रारंभ	–	17 जून 2016
2. प्रवेश प्रक्रिया	–	प्राचार्य अधिकार 15 जून से 30 जूलाई 2016 तक
3. कुलपति का अधिकार	–	14 अगस्त 2016 तक
4. छात्रसंघ गतिविधियां		
चुनाव प्रक्रिया	–	अगस्त/ सितम्बर (तिथि वि.वि. द्वारा घोषित की जावेगी)
शपथ ग्रहण	–	31 अगस्त तक (सम्भावित)
5. खेलकुद प्रारंभ (शासन स्तर पर)	–	16 जुलाई 2016 से 20 दिसम्बर 2016
महाविद्यालयीन स्तर पर	–	21,22,23 दिसम्बर 2016 (कोई दो दिन)
व सांस्कृतिक गतिविधियाँ	–	(कोई एक दिन)
6. एन.सी.सी./ एन.एस.एस.द्वारा	–	
वृक्षारोपण	–	जुलाई 2016 दूसरा सप्ताह
शिविर गतिविधियाँ	–	अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2016 एन.एस.एस. शिविर (प्रस्तावित)
7. विभिन्न अवकाश :		
दशहरा	–	पृथक से घोषित
दीपावली	–	पृथक से घोषित
शीतकालीन	–	पृथक से घोषित
8. आंतरिक मूल्यांकन :		
(1) प्रथम इकाई मूल्यांकन	–	31 जुलाई 2016 तक
(2) द्वितीय इकाई मूल्यांकन	–	31 जुलाई 2016 तक
प्रथम सत्र परीक्षा (त्रैमासिक)	–	25 से 30 सितम्बर 2016
(3) तृतीय इकाई मूल्यांकन	–	31 अक्टूबर 2016
द्वितीय सत्र परीक्षा (अर्द्धवार्षिक)	–	25 से 30 नवम्बर
(4) चतुर्थ इकाई मूल्यांकन	–	20 दिसम्बर 2016
(5) पंचम इकाई मूल्यांकन	–	20 जनवरी (जनवरी अंतिम सप्ताह)

9. पालक दिवसः

5 अक्टूबर 2016 से 3 फरवरी 2017 तक

30% पाठ्यक्रम पूर्ण	–	31 अगस्त 2016 तक
60% पाठ्यक्रम पूर्ण	–	30 अक्टूबर 2016 तक
100% पाठ्यक्रम पूर्ण	–	25 फरवरी 2017 तक

10. पाठयक्रम पुनरावलोकन – 25 फरवरी 2017 तक

वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम :

प्रायोगिक	– 19 फरवरी 2017 से 3 मार्च 2017 तक
वार्षिक परीक्षा	– 1 मार्च 2017 से 30 अप्रैल 2017 तक (संभावित)

नोट :- वार्षिक परीक्षा समय सारिणी का प्रकाशन वि. वि. द्वारा पृथक से किया जायेगा।

महाविद्यालय परिवार

1. महाविद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ की जानकारी –

क्र.	नाम	पदनाम	विषय	मो. नम्बर
1.	रिक्त	प्राचार्य	–	242529(कार्या.)
2.	श्री एम. आर. जांगडे.	प्रभारी प्राचार्य	–	9407917263
3.	रिक्त	प्राध्यापक	समाजशास्त्र	–
4.	रिक्त	प्राध्यापक	अर्थशास्त्र	–
5.	रिक्त	प्राध्यापक	हिन्दी	–
6.	रिक्त	प्राध्यापक	राजनीतिशास्त्र	–
7.	रिक्त	प्राध्यापक	वाणिज्य	–
8.	रिक्त	प्राध्यापक	रसायनशास्त्र	–
9.	डॉ. नीलम तिवारी	सहा. प्राध्यापक	भौतिक	9410838750
10.	श्री शशिभूषण कनौजे	सहा. प्राध्यापक	वनस्पतिशास्त्र	9907342356
11.	श्री शोभा राम यादव	सहा. प्राध्यापक	प्राणीशास्त्र	9827155814
12.	डॉ. रवि कुमार बंजारे	सहा.प्राध्यापक	रसायन	9993850620
13.	रिक्त	सहा. प्राध्यापक	रसायन	–
14.	रिक्त	सहा. प्राध्यापक	गणित	–
15.	श्री यशवंत साव	सहा.प्राध्यापक	हिन्दी	9893497737
16.	श्रीमती रूपा सोरी	सहा.प्राध्यापक	अंग्रेजी	9424284984
17.	रिक्त	सहा. प्राध्यापक	समाज शास्त्र	–
18.	रिक्त	सहा. प्राध्यापक	राजनीति शास्त्र	–
19.	रिक्त	सहा. प्राध्यापक	अर्थशास्त्र	–
20.	रिक्त	सहा. प्राध्यापक	अर्थशास्त्र	–
21.	श्री पुरोहित सोरी	सहा.प्राध्यापक	इतिहास	9424291405
22.	डॉ. अमित तिवारी	सहा.प्राध्यापक	वाणिज्य	9826777080
23.	रिक्त	सहा. प्राध्यापक	गृहविज्ञान	–
24.	रिक्त	क्रीडा अधिकारी	–	–
25.	श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता	ग्रंथपाल	–	9407655448
26.	रिक्त	सहा. प्राध्यापक	भूगोल	–

महाविद्यालय परिवार

1. महाविद्यालय के कार्यालयीन स्टाफ की जानकारी

क्र.	नाम	पदनाम
1.	श्री एस. के. वर्मा	सहायक ग्रेड – 1
2.	श्री बी. एल. साहू	सहायक ग्रेड – 3
3.	श्री सुरेश कुमार तारम	सहायक ग्रेड – 3
4.	श्री जे. के आर्य	डाटा एन्ट्री आपरेटर
5.	श्री सी. एल. धनेलिया	प्रयोगशाला तकनीशियन
6.	श्री राम सेवक पैकरा	प्रयोगशाला तकनीशियन
7.	श्री अश्वनी ठावरे	प्रयोगशाला तकनीशियन
8.	श्रीमती ज्योति ओस्तवाल	प्रा. शा. तकनीशियन
9.	कु. अंजना पराते	प्रा. शा. तकनीशियन
10.	श्री बादल कर्मकार	प्रयोगशाला परिवारक
11.	कु. सायराबानो कुरैशी	प्रयोगशाला परिवारक
12.	श्री बुधराम नेताम	भृत्य
13.	श्री सुदन राम पोयाम	भृत्य
14.	श्री सुरेन्द्र देवांगन	बुल लिफ्टर
15.	श्री अर्जुन सिंह मौर्य	स्वीपर
16.	श्री यू. एल. मारकण्डेय	चौकीदार
17.	श्री सुशील कुमार ध्रुव	फर्राश

.... विशेष ....

1. महाविद्यलय परिसर में मोबाईल लाना, पान मसाला, गुटका, धुम्रपान का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

2. महाविद्यालय परिसर तथा परिसर से बाहर किसी भी छात्र/ छात्रा द्वारा रैगिंग लेना/ शामिल होना, प्रोत्साहित करना सख़्त दण्डनीय अपराध है।

आदेशानुसार
प्राचार्य

वचन पत्र

मैं ....

माता पिता ....

कक्षा .... विभाग/ छात्रावास ....

घोषणा करता/ करती हूँ कि मुझे ज्ञात है कि रैगिंग न केवल अपराध है बल्कि मानव अधिकार का हनन भी है, मैं इस प्रकार के किसी कृत्य में शामिल नहीं रहूँगा/रहूंगी, मुझे रैगिंग के संदर्भ में दी जाने वाली सजा की जानकारी है, और यदि मैं रैगिंग की घटना में शामिल पाया जाता / पायी जाती हूँ तो मैं दण्ड का भागी रहूँगा/ रहूँगी।

छात्र/ छात्रा के हस्ताक्षर

मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरा पाल्य रैगिंग के किसी कृत्य में शामिल नहीं होगा / होगी। मुझे रैगिंग में दी जाने वाली सजा ज्ञात है, और यदि मेरा पाल्य रैगिंग की घटना में शामिल पाया / पायी जाता/ जाती है तो उसको दी जाने वाली सजा से मैं सहमत रहूँगा / रहूँगी।

पिता/ माता/ अभिवाहक के हस्ताक्षर

टीप :- यदि अभिभावक के हस्ताक्षर सही नही पाये गये तो छात्र के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी जिसके लिए छात्र/ छात्रा स्वयं जिम्मेदार होगें।

वचन-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से जमा करें।

नोट :– फार्म को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में भरें।

Student Information

1. Class :- …………………… 2. Enrollment No :- ………………

3. Student Name :- ……………………………………………………..

4. Father's Name :- …………………………………………………

5. Mother's Name :- …………………………………………………

6. Date Of Birth (dd-mm-yy) :- ………./………../…………

7. Blood Group :- ………………8. Status (Signal/Married):- ……….

9. Gender (Male/Female) :- …………………

10. Category :- …………………………..

11. Mobile No. :- ………………………..

12. Email. Id :- …………………………..

13. Aadhar Card No. :- ………………………………

14. वर्तमान में अध्ययनरत विषयः– अनिवार्य 1……………. 2…………… 3…………….

वैकल्पिक :– 1………………. 2………………… 3……………. 4…………………

15. Address(Temporarily):-……………………………………………

(Permanent) :- ………………………………………………

योग्यता	रोल नं.	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी	उत्तीर्ण वर्ष
10 वीं						
12 वीं						
अंतिम क्लास						